प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-13 जुलाई, 2017

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, अम्बेडकरनगर के लिए फर्नीचर, किचन एवं सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19312/नम-3/52/वैल्यूम-5/2017, दिनांक 08.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में एवं जनपद अम्बेडकरनगर में निर्माणाधीन जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में लगाये जाने वाले फर्नीचर/सुरक्षा उपकरणों से सम्बन्धित प्राविधानों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-349/22-4-17-48(67)/96, दिनांक 19.05.2017 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार, अम्बेडकरनगर के लिए फर्नीचर, पाकशाला उपकरण, सी0सी0टी0वी0, डी0एफ0एम0डी0, एच0एच0एम0डी0 एवं यू0पी0एस0 क्रय किये जाने हेतु रू0 2,09,90,000/-(रूपया दो करोड़ नौ लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत नियमों तथा संगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इसका दायित्व वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ को होगा।

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा सुरक्षा उपकरणों हेतु 05 वर्ष की ए0एम0सी0 सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उपकरणों का क्रय कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया अपनाते हुए उच्च विशिष्टियों के अनुसार ही किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्थापित करने एवं उसके रख-रखाव का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.05.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासकीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 02.01.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-**45**/2017/527(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।